न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0न0 — 23/2022

अनवान : —

1. शेरसिंह पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डावडी तहसील भादरा।
2. लीलाधर पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डावडी तहसील भादरा। प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. भागचन्द पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. रामकिशन पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. रणजीत पुत्र चन्दरूराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक। अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री नरेन्द्र डाबडी प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 5/5/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 391/124 के खसरा सं0 539/1 की 1.4800है0 व इसी प्रकार रोही डाबडी के खाता सं0 225/153 के खसरा सं0 524, 525/732 कुल 2.4910है0 बारानी खातेदारी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदारी दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 ता. 5 के पिता का नाम चन्दरूराम दर्ज है व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 221/231 के खसरा सं0 16/4 की 0.604है0 बारानी खातेदारी भागचंद पुत्र चन्दरूराम के नाम से व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 320/309 के खसरा सं0 16/5 की 0.604है0 बारानी खातेदारी रामकिशन पुत्र चन्दगीराम के नाम से व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 390/386 के खसरा सं0 16/3, 18/5 कुल 0.604है0 बारानी खातेदारी शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 157/155 के खसरा सं0 18/3 की 0.604है0 में निहालसिंह पुत्र चन्दगीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रार्थीगण शेरसिंह प्रतिवादीगण कमशः निहालसिंह, रामकिशन, के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम चन्दरूराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 320/309 के खसरा सं0 16/5 की 0.604है0 बारानी खातेदारी

रामकिशन पुत्र चन्दगीराम के नाम से व रोही मौजा डावडी के खाता सं0 390/386 के खसरा सं0 16/3, 18/5 कुल 0.604है0 वारानी खातेदारी शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 157/155 के खसरा सं0 18/3 की 0.604है0 में निहालसिंह पुत्र चन्दगीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता का सही नाम चन्दरूराम के स्थान पर पर अशुद्ध नाम चन्दगीराम दर्ज है, अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता का नाम चन्दगीराम के स्थान पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता सही नाम चन्दरूराम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा ग्राम पंचायत सरपंच रिपोर्ट व तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 320/309 के खसरा सं0 16/5 की 0.604है0 में रामकिशन पुत्र चन्दगीराम के स्थान पर सही नाम रामकिशन पुत्र चन्दरूराम व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 390/386 के खसरा सं0 16/3, 18/5 कुल 0.604है0 में शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम के स्थान पर सही नाम शेरसिंह पुत्र चन्दरूराम व रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 157/155 के खसरा सं0 18/3 की 0.604है0 में निहालसिंह पुत्र चन्दगीराम के स्थान पर निहालसिंह पुत्र चन्दरूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि में रामकिशन पुत्र चन्दगीराम, शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम, निहालसिंह पुत्र चन्दगीराम के नाम से हो तो उसके लिए रामकिशन पुत्र चन्दगीराम, शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम, निहालसिंह पुत्र चन्दगीराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...5/5/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested